



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240468
CG-DL-E-23112022-240468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5188]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 22, 2022/ अग्रहायण 1, 1944

No. 5188]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 22, 2022/ AGRAHAYANA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2022

का.आ. 5416(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में NH45A के कि.मी. 0 से कि.मी.29 (सेकंड फ्लोर कलेक्टर ऑफिस बिल्डिंग विल्लुपुरम) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 19.08.2022 " को " दैनिक थांथी " और " द न्यू इंडियन एक्सप्रेस " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में NH45A के कि.मी. 0 से कि.मी.29 (सेकंड फ्लोर कलेक्टर ऑफिस बिल्डिंग विलुप्पुरम) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: तमिलनाडु जिले का नाम: विल्लुपुरम					
क्र. संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: विलुप्पुरम				
	गांव का नाम: अनंगूर				
1	631/1A	निजी	वेट	0.006	मणि स/ओ. थंबीरा गौंडर (631/1ए1ए)
2	631/1B	निजी	वेट	0.0125	मणि स/ओ. थंबीरा गौंडर (631/1बी)
3	631/2A	निजी	वेट	0.0026	मणि स/ओ. थंबीरा गौंडर (631/2ए)
	गांव का नाम: कंडामनादि				
4	340/1A	निजी	नाथम	0.0093	खाली जगह (340/1ए)
5	340/1C	निजी	नाथम	0.0004	खाली जगह (340/1सी)
6	340/2A	निजी(नाथम)	नाथम	0.0167	खाली जगह (340/2ए)
7	340/3A	निजी	नाथम	0.0011	खाली जगह (340/3ए)
8	340/9A	निजी	नाथम	0.0085	खाली जगह (340/9ए)
9	56 / 4	निजी	वेट	0.0041	भथवचलम (56/4ए2)

	गांव का नाम: कोलाथुर				
10	121/2B	निजी	वेट	0.045	1) विरुथम्बल, 2) अशोक (121/2बी)
	गांव का नाम: सलयामपलयम (ईस्ट)				
11	379/2B	निजी	वेट	0.105	1) दीनदयालन पुत्र. दुरैराज 2) अनंत पुत्र। दुरैराज 3) वनिता (379/2बी)
12	408/1C	निजी	वेट	0.0208	अरुणादेवी डब्ल्यू/ओ. सेल्वाराज (408/1सी1)
			कुल	0.232	

[फा. सं. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/PIU-Villupuram/2013/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2022

S.O. 5416(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH45A on the stretch of land from Km 0 to Km 29 (Second Floor Collector Office Building Viluppuram) in the district of VILLUPURAM in the state of TAMIL NADU

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Daily Thanthi*” and “*The New Indian Express*” both dated 19.08.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH45A in the stretch of land from NH45A (Second Floor Collector Office Building Villuppuram) in the district of VILLUPURAM in the state of TAMIL NADU.

State: TAMIL NADU			District: VILLUPURAM		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Viluppuram				
	Village: Anangur				
1	631/1A	Private	Wet	0.006	Mani S/o. Thambira Gounder 631/1A1A
2	631/1B	Private	Wet	0.0125	Mani S/o. Thambira Gounder 631/1B
3	631/2A	Private	Wet	0.0026	Mani S/o. Thambira Gounder 631/2A
	Village: Kandamanadi				
4	340/1A	Private	Natham	0.0093	Vacant place 340/1A
5	340/1C	Private	Natham	0.0004	Vacant place 340/1C
6	340/2A	Private	Natham	0.0167	Vacant place 340/2A
7	340/3A	Private	Natham	0.0011	Vacant place 340/3A
8	340/9A	Private	Natham	0.0085	Vacant place 340/9A
9	56 / 4	Private	Wet	0.0041	Bhathavachalam 56/4A2
	Village: Kolathur				
10	121/2B	Private	Wet	0.045	1) Viruthambal, 2) Ashok 121/2B
	Village: Salayampalayam (East)				
11	379/2B	Private	Wet	0.105	1) Deenadayalan S/o. Durairaj 2) Ananth S/o. Durairaj 3) Vanitha 379/2B
12	408/1C	Private	Wet	0.0208	Arunadevi W/o. Selvaraj 408/1C1
			TOTAL	0.232	

[F. No. NHAI/11013/LA/3(a)-Notif/PIU-Villuppuram/2013/3D]

RAJESH GUPTA, Director